UPSD040127182026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

Criminal Misc. Cases/759/2026

श्रीमती अन्जु––– **बनाम**––– मनोज कुमार आदि।

थाना–मोहाना

जनपद–सिद्धार्थनगर

दिनांक–10.07.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3)BNSS

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने के बावत आवेदिका अन्जु पत्नी फूलचन्द्र के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3)BNSS पर सुना ।

संक्षेप में आवेदिका का कथन है कि आवेदिका वो मुल्जिमान एक ही गाँव एवं एक ही घर के हैं। तथा आवेदिका पृथक अपने नाबालिग बच्चों के साथ एक कमरे में रहती है। तथा कान से कम सुनती है। आवेदिका के पति बाम्बे शहर कमाने चले गये हैं। तथा आवेदिका अपना मशाला पीसने हेतु पत्थर की सील रखी थी। आवेदिका के कमरे में पत्थर सील रखा था उसे दिनांक 15–5–2026 को वर्णित मुल्जिमान तोड़ कर दो भाग कर दिये थे घटना दिनांक 15.05.2026 समय अपराहन 03.00 वजे दिन में हम आवेदिका के पूछने पर कि मेरा सील पत्थर किसने तोड़ा है उसी बात पर मुल्जिमान मनोज कुमार श्रीमती रीता, मोती लाल श्रीमती राजकुमारी सभी लोग एक राय गोल बन्द होकर बदनीयती से मेरे ससुर मोती लाल ने ललकार कर कहे कि साली नीच को कमरे से खींच कर बाहर तलवों और आज इसका हाथ पैर तोड दो ताकि चल न सके कमरे से हम आवेदिका को मनोज कुमार, रीता, राजकुमारी कमरे से हम आवेदिका को जबरन हुए बाहर, दरवाजे पर लाकर डण्डा, ईदा, लात घूसा से पटक करके बुरी तरह से मारने हुए अश्लील गालियाँ साली बीच को आज हाथ पैर तोड़ दो कहते हुए आवेदिका के दाये पैर पर ईटा से मनोज कुमार व मोतीलाल घोर उपहति करके हड्डी तोड़ दिये, बचाव में आये आवेदिक के पुत्र अमर को भी मुल्जिमानों ने मीरे पीटे तथा अन्य गवाह अनिल व अर्जुन के आने पर आइन्दा जान से खत्म करने की धमकी दिये। प्रार्थिनी के पुत्र अमर के द्वारा नम्बर 112 वी नम्बर 108 पर एम्बुलेंस के बुलाया गया जो पहले थाना पर ले गये थाना पर मुकदमा दर्ज नही किया गया और न थाना की पुलिस दवा काने ले गई। बल्कि गवाहों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्डपुर सिद्धार्थनगर में दिनांक 15.05.2026 को समय 09.05 पी.एम पर कराया गया है। आवेदिका ने दरखास्त टाइप करवा करके पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर को दिनांक 18.05.2026 को दिया है। दिनांक 18.05.2026 को माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर में अपने पैर के टूटने पर प्लास्टर कराया है। जिससे चलने में

Digitally signed by DHAMMA KUMAR SIDHARTH
Date: 2026.07.10 14:51:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदिका को काफी पीडा हो रही है। आज तक थाना मोहाना द्वारा आवेदिका के दरखास्त पर मुल्जिमानों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मुल्जिमानों द्वारा आवेदिका के कमरे में घुसकर डण्डा, ईटा से मार,पीट करके घोर उपहति कारित किये हैं और अश्लील अपशब्दों को बकते हुए आइन्दा मार डालने की धमकी दिये है। जो गम्भीर व संज्ञेय अपराध कारित किये है तथा सारे सबूतों को दिया जा रहा है। थानाध्यक्ष मोहाना सिद्धार्थनगर को आदेश दिया जाने कि आवेदिका का मुकदमा दर्ज करके वर्णित सबूतों के आधार पर वर्णित मुल्जिमानों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए दण्डित कराने हेतु न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करें।

आवेदिका का प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है तथा आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को प्रेषित प्रार्थना–पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद,प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम दरखास्त थाना मोहाना,डाक्टरी प्रतिलिपि सामुदायिक स्वास्थ्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर, एक्सरे प्लेट, आधार कार्ड व अन्य की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने की आख्या आहूत की गयी, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी व गवाहान को घटना की बखूबी जानकारी है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नम्बर–9297/07 सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2008(1)A.C.R. पेज 170, में प्रतिपादित विधि व्यवस्था एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राम बाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ०प्र० सरकार 2001(2) A.C.R. 1350(F.B.)**, में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आधार प्रश्नगत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) भा०ना०सु०सं० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 BNSS दिनांक 28.08.2026 को पेश हो।

दिनांक–10.07.2026

(धम्म कुमार सिद्धार्थ)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 3504